



581/1

दूरभाष - 2286709
2286710

गग थेना कन्द. 10 अशोक नगर, लखनऊ - 220001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक :
संवाद में
4880 / 05 / 76 / एक / 2015-16

दिनांक : 22 मार्च 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान

जनपद-आजमगढ़।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (हुडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महादेव,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएसी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	50164411365	IFSC Code ALI LA0212281	124 893
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वर्सी/वार्ड का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	आजमगढ़	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प०आ जमगढ़	टाचर्स कालोनी में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.852
2	आजमगढ़	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प०आ जमगढ़	मु० बाजबहादुर कोट सीताराम एवं गुरुरीगंज में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.652
3	आजमगढ़	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प०आ जमगढ़	मु० हर्ष एवं रहमत नगर में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.363
4	आजमगढ़	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प०आ जमगढ़	बिलरियांगंज की चुर्गी, मु० गुलामी की पुरा व सिधारी में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.058
5	आजमगढ़	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प०आ जमगढ़	मु० रहमतनगर, ताकिया, कोट फिला, धर्म बाज बहादुर कोट, कोट इलियास एवं पहाड़पुर इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.557
6	आजमगढ़	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प०आ जमगढ़	मु० ताकिया एवं पहाड़पुर में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.786
7	आजमगढ़	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प०आ जमगढ़	मु० कोट लालधरी में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.432
8	आजमगढ़	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० बिलरियांगंज	बिलरियांगंज वार्ड न० 11 व 2 में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.663
9	आजमगढ़	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प०रि० मुद्यारकपुर	मु० कटरा एवं अलीनगर में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.530
	योग				124.893

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में रु०१०१०० रु०२० अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्थीकृत ढी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य अरम्म होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोलायाफ प्रत्यक्ष दर्शा में सम्बन्धित पत्रवली में रखा जायें।

1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में रु०१०१०० रु०२० अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्थीकृत ढी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य अरम्म होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोलायाफ प्रत्यक्ष दर्शा में सम्बन्धित पत्रवली में रखा जायें।



581/2

दूरभाष - 2286709
2286710

नगर भवन कंप्ल. 10 आशोक मार्ग, लखनऊ-220001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूक्ष्मा सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूक्ष्मा देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्तीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि रवीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में राखिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये। अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभियान मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई रवीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में रवीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरिता के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि गविष्य में समूचित रख-रखाव में कोई वाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि पांरिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों ने तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अदर्श करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभियान को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाये। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभियान को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होता।
- 9- उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिक्रियों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेंगी। एवं रवीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवधों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह रवीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यायवर्तन अनुमन्य न होगा। शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूक्ष्मा अभियान मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य रोन्टेज की धनराशि पूर्व द्वितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार प्रमाण पत्र अथवा अवशेष कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रत्येक गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि को अवमुक्त किया जा सके। सूक्ष्मा अभियान को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

मंत्री,

(लाल प्रताप रिंड)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, सम्बन्धित जनपद।
- अपर निदेशक, सूदा।।।
- अधिकारी अधियन्ता-सूदा।।।
- कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूदा।।।

(लाल प्रताप रिंड)
वित्त नियन्त्रक